# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 224

तारीख 30.5.22

बदाम पत्नि पन्नालाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी खडीपुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)

...........प्रार्थीया

बनाम

01. रंगलाल पुत्र जगनाथ जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी खडीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. रामपाल पुत्र खाना मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी खडीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. एजन देवी पत्नि प्रभुलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी खडीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

दिनांकः 30.5.22

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र बदाम पत्नि पन्नालाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी खडीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा खडीपुर पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 59 पर अंकित आराजी संख्या 196/1, 967/196 कुल किता 02 रकबा 0.4451 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा खडीपुर पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 59 पर अंकित आराजी संख्या 196/1, 967/196 कुल किता 02 रकबा 0.4451 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

आदेश सुनाया गया